न्यायालय न्याय निर्णयन् अधिकारी(अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री छगनलाल गोयल, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या — 18/2017

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीः–
सरकार जरिये श्री गजेन्द्रकुमार सिंहल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालोर		श्री डायाराम पुत्र श्री लादूराम निवास–राजेन्द्रनगर जालोर –343001 मैसर्स–लीली एजेन्सी, राजेन्द्र नगर,जालोर मो.नं. 9413855899

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) एफ व धारा 51 व 52 के तहत्

उपस्थिति :–
1.श्री प्रतापसिंह,डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालोर, प्रार्थी पैरोकार की ओर से ।
2.श्री निम्बाराम ,अभिभाषक, अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक 9.5.2019

1. प्रार्थी श्री गजेन्द्रकुमार कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य दिनांक 4.1.2016से 19.6.2018 तक सम्पन्न किया है और वर्तमान में दिनांक 25.1.2019 से लगातार कार्यरत है। प्रार्थी को राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन कमांक H/FSSA/Notification/2011-727 दिनांक 29.11.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं राज. जयपुर के आदेश कमांक एफएसएसए/2015/1032 दिनांक 30.12.2015 के अनुसार प्रार्थी को कार्यक्षैत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर आवंटित किया गया है। कमांक शासन उप सचिव,कार्मिक विभाग,राजस्थान जयपुर जारी अधिसूचना कमांक/प.1(2) कार्मिक/ क–4/ 08 दिनांक 5.4.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटो को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अधिनस्थ कार्यक्षैत्र के लिए न्याय निर्णयन् अधिकारी नियुक्त किया गया है।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर ने अप्रार्थी के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 28.10.2016 को 1.30 पी.एम पर मैसर्स—लीला एजेन्सी राजेन्द्रनगर जालोर पर पहूंचने पर प्रार्थी ने विक्रेता को अपना परिचय दिया व परिचय पत्र दिखाया, पूछने पर विक्रेता ने अपना नाम डायाराम पुत्र लादूराम बताया तथा स्वयं को दुकान का मालिक होना बताया, वास्ते निरीक्षणार्थ वर्ष 2016 का खाद्य पदार्थ विकय अनुज्ञापत्र होना जाहिर किया। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान में रखे फ्रिज के अन्दर Vegetable Fat Spread (nutralite Brand) Agmark के लगभग 60 पैकेट (500 ग्राम पैक में) आम जनता को विक्रय के लिए रखे हुए थे, मिलावट का सन्देह होने पर दुकान से 500ग्राम पैकिंग के चार पैकेट वास्ते नमूना जांच खरीदे, जिसकी कीमत के विक्रेता को 308 रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर प्रार्थी स्वयं ने व विक्रेता तथा उपस्थित गवाहान जानमोहम्मद वाहन चालक,कार्यालय हाजा व जोरावरसिंह च.श्रे.कर्म., कार्यालय हाजा ने हस्ताक्षर किये। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5—ए की प्रतिया व फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता व गवाहान् को पढकर ,सुनाकर व समझकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिस पर अप्रार्थी ने पढकर,समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये, फार्म सं. 5—ए की एक प्रति अप्रार्थी/विक्रेता श्री डायाराम को देकर रसीद प्राप्त की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदसुदा 500 ग्राम के चार पैकेट Vegetable Fat Spread (nutralite Brand) Agmark को लिया व लेबल तैयार किये व लेबल पर डी.ओ. के कोड ओ—699 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर प्रार्थी स्वयं ने हस्ताक्षर किये व विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये । चारो नमूना पैकेटो को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. जालोर की हस्ताक्षरसुदा पेपर स्लीप सं.ओ—699 नियमानुसार चारो नमूना पैकेटो पर नीचे उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहान् के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लीप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को प्रार्थी ने अपने जाब्ते में लिया। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं.6 की 6 प्रतिया तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया गया। एक नमूना भाग मय फार्म नं.6 की प्रति के आउटर कवंर में सील बन्द कर,सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज. जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की, दो फार्म सं.6 की प्रति

अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सीलमोहर कर खाद्य विश्लेषक एवं जन विश्लेषक राज. जोधपुर को जमा कराकर,फार्म नं. 6 की पुश्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सीलबंद नमूना भाग में फार्म नं. 6 की दो प्रतियो के आउटर कंवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर के पत्र कमांक/एफएसएसए /2017/28 दिनांक 13.12. 2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./1385/एक्ट /2016/1418 दिनांक 30.11.2016 के अनुसार प्रार्थी द्वारा वास्ते जांच लिया गया नमूना सब स्टेण्डर्ड व मिसब्राण्ड का होना पाया गया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी जालोर ने **पत्र** कमांक/एफएसएसए/स्वीकृति/ 2017/ओ-699/3763 दिनांक 28.8.2017 **के द्वारा** खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त कैस को न्याय निर्णयन् अधिकारी को प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। उक्त केस में सबस्टेण्डर्ड व मिसब्राण्ड Vegetable Fat Spread (nutralite Brand) Agmark का विकय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(II) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011 की धारा 51 व 52 में निर्धारित है।

3. खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ गजट नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन कार्यक्षैत्र आवंटन की प्रति, नमूना खरीद बिल असल, फार्म नं.5ए असल,मौका फर्द रिपोर्ट असल,फार्म नं.6 असल एवं प्राप्ति रसीद, खाद्य विश्लेषक जोधपुर द्वारा खाद्य नमूना संख्या 0-699की प्राप्ति रसीद,खाद्य विश्लेषक जोधपुर की जांच रिपोर्ट, मु.चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर का पत्र कमांक एफ एसएसए/ स्वीकृति/2017/ ओ-699/3763 **दिनांक 28.8.17** आदि कागजात् प्रस्तुत किये है।

4. खाद्य सुरक्षा अधिकारी से परिवाद प्राप्त होने पर दि. 29.9.17 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को विधिवत् नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 26.10.17 को कार्यालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। अप्रार्थी की ओर से श्री कैलाशपुरी, वकील उपस्थित आये। अप्रार्थी वकील को उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश किये गये परिवाद में वर्णित तथ्यों को पढकर अवगत करवाया।

5. अप्रार्थी के वकील को दिनांक 26.10.17 से 29.6.2018 तक जवाब पेश करने हेतु अवसर दिये गये लेकिन अप्रार्थी के वकील ने कोई जवाब पेश नही किया गया है।

6. सरकारी साक्ष्य सं.1(प्रार्थी)-श्री गजेन्द्रकुमार ,खाद्य सुरक्षा अधिकारी के दिनांक 19.2.2019 को बयान लिये गये, बयान में बताया कि Vegetable Fat Spread (nutralite Brand) Agmark का नमूना जांच रिपोर्ट में सब स्टेण्डर्ड व मिस ब्राण्ड पाया गया है। शेष सरकारी गवाह,गौण होने से साक्ष्य हेतु बुलाना उचित नही समझा गया।

7. उभयपक्ष की बहस सुनी गई, प्रार्थी ने अपने परिवाद प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व Vegetable Fat Spread (nutralite Brand) Agmark का नमूना जांच रिपोर्ट में सब स्टेण्डर्ड व मिसब्राण्ड पाया जाने से अप्रार्थी पर जुर्माना आरोपित करने का निवेदन किया। इसके विपरीत अप्रार्थी के वकील ने बताया कि Vegetable Fat Spread (nutralite Brand) Agmark मानव के लिए हानिकारक नही होने से प्रार्थी का परिवाद खारिज करावे।

8. बहस पर मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया। अतः परिवाद में वर्णित तथ्यों ,साक्ष्य सरकार सं.1 के बयान तथा इसके साथ संलग्न दस्तावेजात्, खाद्य विश्लेषक जोधपुर से प्राप्त जांच-रिपोर्ट संख्या एल. एस./1385/ एक्ट/2016/1418 दिनांक 30.11.2016 से स्पष्ट हैं कि अप्रार्थी से लिया गया Vegetable Fat Spread (nutralite Brand) Agmark का नमूना Sub standard व Misbranded पाया गया। उक्त Vegetable Fat Spread (nutralite Brand) Agmark खरीद करने का कोई बिल प्रस्तुत नहीं हुआ है। चूंकि अप्रार्थी ने उक्त सबस्टेण्डर्ड व मिसब्राण्ड Vegetable Fat Spread (nutralite Brand) Agmark आम जनता को बैचान हेतु रखा हुआ था जिसके लिए अप्रार्थी दोषी है। अतः अप्रार्थी द्वारा खाद्य मानक अधिनियम 2006की धारा 26 की उपधारा 2(।।)के उल्लंघन करने से खाद्य मानक अधिनियम 2006की धारा 51 व 52 के तहत् प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए अप्रार्थी पर **सब स्टेण्डर्ड** के 15000/-,एवं **मिसब्राण्ड** के 15000/-,कुल 30000/--रूपये,अक्षरे तीस हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है।साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त राशि

अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट हैड– "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि " में नियमानुसार निर्णय एक माह के अन्दर अन्दर जमा करवाकर चालान की प्रति पेश करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 9.5.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

S.d. 9/5/19
(छगनलाल गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट)
जालोर

क्रमांक/429–432 दिनांक 9.5.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1.खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक(जन स्वास्थ्य)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज.जयपुर।
2.अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर
3.श्री गजेन्द्र कुमार सिंहल,खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मु.चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,जालोर।
4.श्री डायाराम पुत्र श्री लादूराम,निवास–राजेन्द्रनगर जालोर –343001 मैसर्स–लीली एजेन्सी, राजेन्द्र नगर,जालोर मो.नं. 9413855899

S.d 9/5/19
(छगनलाल गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट)
जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Chhagan Lal Goyal
Date: 2020.01.01 16:35:41 IST
Reason: SelfAttested
Location: